चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक डायल 112 श्री शंभूदयाल मौर्या के मार्गदर्शन में थाना राजापुर में नियुक्त आरक्षी प्रदीप कुमार को रात्रि में ड्यूटी के दौरान मिले मोबाइल फोन को स्वामी की जानकारी कर सुपुर्द किया गया। अपने मोबाइल फोन को पाकर व्यक्ति द्वारा चित्रकूट पुलिस की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 25.03.2026 को थाना राजापुर में पीआरवी 7213 टू व्हीलर में तैनात आरक्षी प्रदीप कुमार जो अपने रूट चार्ट के अनुसार रात्रि गश्त में थे तभी कस्बा राजापुर लूपलाइन के पास रोड़ पर realme 5g फोन जिसकी अनुमानित कीमत 15 हजार पड़ा हुआ मिला। मोबाइल स्वामी की जानकारी की गयी तो पता चला कि इजाजुल खान पुत्र मुलायम खान निवासी कमासिन जनपद बांदा जो अपने दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में आए थे रास्ते में मोबाइल गिर गया था। खोए हुए मोबाइल के सम्बन्ध में इजाजुल खान से पूंछताछ की गयी तत्पश्चात मोबाइल को इजाजुल खान को सुपुर्द किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी व उनकी टीम द्वारा दुष्कर्म के वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना रैपुरा अन्तर्गत एक निवासिनी ने सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा वादिया के घर के अन्दर बंधक बनाकर वादिया के साथ छेड़खानी करते हुए बलात्कार करना व मना करने पर जान से मारने की धमकी देना । इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 14/2026 धारा 64,74,127(2),351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना पीड़िता की बयान अन्तर्गत धारा 183 के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64,74,127(2) का लोप करते 64(2)m,332(b),352,123 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा आज दिनांक 26.03.2026 को अभियुक्त जीतेन्द्र कुमार उर्फ जीतू पुत्र स्व0 सत्यनारायण उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.श्री आशुतोष तिवारी प्रभारी निरीक्षक रैपुरा
2.आरक्षी शिवम मिश्रा
3.आरक्षी चालक धर्मेन्द्र सिंह

(4). माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 1404/2023 सुकन्या शांथा बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित आदेश दिनांक 03.10.2024 के अनुपालन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माडल प्रिजन मैनुअल -2016 के अधीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शेषमणि शुक्ला की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला जेल विजिटर बोर्ड के सदस्यों द्वारा आज संयुक्त रूप से जिला कारागार चित्रकूट का औचक निरीक्षण किया गया।

दौरान निरीक्षण बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं—सुरक्षा, स्वच्छता, भोजन, चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण कर जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दौरान निरीक्षण हाईसिक्योरिटी बैरक, बच्चा बैरक, महिला बैरक व अन्य बैरकों में जाकर उपस्थित बंदियों से भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य परीक्षण एवं समय-समय पर चिकित्सा प्राप्त होने के संबंध में पूछा गया जो जेल नियमावली के अनुसार उचित होना पाया गया। बंदियों को विधिक सहायता के लिये जेल में लीगल एड क्लिनिक की स्थापना

प्राधिकरण के द्वारा की गई है। लीगल एड डिफेंस कौंसिल के सदस्य, जेल पैरालीगल वालंटियर नियमित रूप से जेल विजिट कर बंदियों से मुलाकात कर उनके प्रकरणों की जानकारी प्रदान की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट के द्वारा समय-समय पर जिला कारागार में विधिक सेवा साक्षरता का आयोजन किया जा रहा है। जेल में बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त हो सके, इसलिए साप्ताहिक जेल समीक्षा की जाती है। जिससे बंदी अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे हैं। बंदियों को साक्षर बनाने के लिए शिवनादर फाऊंडेशन के सहयोग से शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है। विजिटर बोर्ड ने जेल में चल रहे इस साक्षरता कार्यक्रम की सराहना की।

जिला कारागार में संचालित जेल अस्पताल में भर्ती बन्दियों से मुलाकात कर उनके इलाज के बारे में पूंछा गया। अस्पताल में भर्ती बन्दियों द्वारा अवगत कराया गया कि डाक्टर्स द्वारा समय – समय पर दवाईयां दी जाती हैं एवं इलाज सही ढंग से किया जाता है। बीमार बंदियों के मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था की गई है, जिसमें योग, आध्यात्मिक कार्यक्रम, भजन, समाचार आदि प्रसारित किए जाते हैं।

दौरान निरीक्षण श्री पुलकित गर्ग जिलाधिकारी, श्री अरूण कुमार पुलिस अधीक्षक, श्री राजेन्द्र प्रसाद भारती मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इला चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री भूपेश द्विवेदी मुख्य चिकित्साधिकारी आदि उपस्थित रहे।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बुद्धलाल वर्मा द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 26.03.2026 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2005 धारा 25(1-ख)अ आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त मनीष त्रिपाठी पुत्र लक्ष्मणदत्त निवासी खटवारा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 06 माह का कारावास व 2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।